झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3905 वर्ष 2010

गायत्री देवी ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार, रांची

3. राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची, द्वारा इसके निदेशक, कार्यालय–डाकघर एवं थाना–बरियातु, जिला–रांची

4. निदेशक, राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, डाकघर एवं थाना–बरियातु, जिला–रांची, झारखण्ड

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए: कोई नहीं

उत्तरदाताओं के लिए: श्रीमती वंदना सिंह, वरिष्ठ एस0सी0–III

06 / दिनांकः 2 अगस्त, 2021

वी0सी0 के माध्यम से सुना।

2. बार–बार पुकार करने पर भी याचिकाकर्त्ता के लिये कोई उपस्थित नहीं होता है।

3. दिनांक 22.07.2021 का आदेश इस प्रकार हैः–

''05/22.07.2021 वी0सी0 के माध्यम से सुना गया।

2. बार–बार पुकार करने पर भी याचिकाकर्त्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि इस आवेदन को संबंधित उत्तरदाताओं पर एक निर्देश के लिए दायर किया गया है कि वह 14.10.2007 को सेवाकाल अपने मृत पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत याचिकाकर्त्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें।

4. सुश्री श्रुति श्रेष्ठ, वरिष्ठ एस0सी0–II के ए0सी0, प्रतिवादी राज्य के लिए उपस्थित हो रही हैं।

5. इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जो इंगित करता है कि यद्यपि याचिकाकर्त्ता के पति की मृत्यु दिनांक 14.10.2007 को हो गई लेकिन इस याचिकाकर्त्ता ने 04.06.2010 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया और प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए। यह आगे प्रतीत होता है कि भले ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वर्ष 2011 में एक पत्र जारी किया गया था, याचिकाकर्त्ता ने इसे प्रस्तुत नहीं किया था और इस

तरह के उसके आवेदन को जिला अनुकंपा समिति के समक्ष अग्रेषित नहीं किया गया था।

6. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है।

7. जैसा कि यह हो सकता है, चूंकि यह मामला एक लंबे अंतराल के बाद सूचीबद्ध किया गया है, याचिकाकर्त्ता को अंतिम अवसर देने की दृष्टि से, इस मामले को 02.08.2021 को रखें।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अगली तारीख पर कोई उपस्थित नहीं होगा, तो उचित आदेश पारित किया जाएगा।''

4. उपरोक्त आदेश के बावजूद याचिकाकर्त्ता के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

5. अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता के पति की मृत्यु 14.10.2007 को हुई थी, लेकिन इस याचिकाकर्त्ता ने 04.06.2010 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया और तब भी उसने प्रतिवादी–अधिकारियों द्वारा की गई मांग के बाद भी प्रासंगिक दस्तावेज को 2011 में प्रस्तुत नहीं किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, अन्यथा भी पूर्ववर्ती कर्मचारी की मृत्यु के 14 साल बाद याचिकाकर्त्ता की प्रार्थना को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6. उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, गैर–संचालन के लिए इस रिट आवेदन को खारिज किया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया0)